कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 334 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, अगस्त 03 ,2023

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
जल निगम (ग्रामीण)
महोबा।

विषयः–जनपद हमीरपुर में इटौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जनपद–हमीरपुर में प्रभावित 1.67 हे0 आरक्षित वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–पारा में उपलब्ध करायी गयी 1.67 हे0 गैर वनभूमि के सर्वे सीमांकन तथा बाउण्ड्री पिलर निर्माण पर व्यय की धनराशि, खतौनी तथा तरमीमी राजस्व मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–08बी0/यू0पी0/08/273/2022/एफ0सी0/805 दिनांक 02.01.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2237/11–सी–FP/UP/Water/155391/2022 दिनांक 02.01.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–185/33–1/दिनांक 19.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित शर्तों में से शर्त संख्या–02 के अनुपालन हेतु आरक्षित वनभूमि के एवज में ग्राम पारा के गाटा संख्या–177/2 में उपलब्ध करायी गयी 1.67 हे0 गैर बनभूमि के सर्वे सीमाकन तथा बाउण्ड्री पिलर निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि मु0 45700.00 रू0 (पैंतालीस हजार सात सौ रू0 मात्र) ई–चालान द्वारा एडाक कैम्पा नई दिल्ली के खाते में जमाकराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु आप द्वारा अभी तक वॉछित कार्यवाही से अवगत नही कराया गया।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि वॉछित धनराशि जमा कराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर प्रमाणित खतौनी तथा तरमीमी राजस्व मानचित्र सम्बन्धित लेखपाल, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से प्रमाणित कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि भारत सरकार की शर्तों का अनुपालन हो सके एवं इस कार्यालय द्वारा कार्यानुमति जारी की जा सके।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक चित्रकूटधाम वृत्त उ0प्र0, बांदा।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, हमीरपुर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हमीरपुर, सुमेरपुर, राठ एवं सरीला को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जब तक इस स्तर से कार्यानुमति जारी न की जाय तब तक वन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने दिया जाय।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।